कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल

सी ब्लॉक, भू-तल, वन भवन, लिंक रोड क्रमांक-2, तुलसी नगर, भोपाल
दूरभाष 0755-2674318, 2674337 E-mail pccfwl@mp.gov.in

क्र/STSF/WLC/#DocumentNumber# भोपाल, दिनांक 15-04-2025

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त
2. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
3. समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
4. समस्त वनमंडलाधिकारी, (क्षेत्रीय/वन्यजीव)
5. समस्त संभागीय प्रबंधक, वन विकास निगम
   मध्य प्रदेश

विषय :- वन अपराध में जप्त न्यायालयीन संपत्ति (वन्यप्राणी, वन्यप्राणी अवयव, वनोपज एवं अन्य सामग्री) के उचित संधारण व उनके संबंधित माननीय न्यायालय में प्रस्तुतीकरण/प्रदर्श के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके कार्यक्षेत्र में समय-समय पर विभिन्न वन अधिनियमों के उल्लंघन पाये जाने पर अधीनस्थ द्वारा वन अपराध प्रकरण दर्ज किये जाते है। जिसमें जीवित वन्यप्राणी, वन्यप्राणी अवयव, वनोपज एवं अन्य सामग्री जप्त की जाती है। जिन प्रकरणों में आरोपी गिरफ्तार होते व उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाता है तथा अग्रिम अभियोजन कार्यवाही में उक्त सामग्री को संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है। ऐसी सामग्री न्यायालयीन संपत्ति होती है व उनके उचित संधारण तथा साक्ष्य की श्रृंखला (Chain of Custody)कानून कार्यवाही में महत्वपूर्ण होती है। परन्तु कई प्रकरणों में उक्त कार्यवाही नहीं की गई जिससे विभाग का पक्ष रखने में कठिनाईयॉ हुई तथा कुछ प्रकरणों में उक्त त्रुटियों का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से अभियुक्त पक्ष को प्राप्त हुआ/होता है। इस संबंध में ऐसी सामग्रियों हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावें :-

1. जप्त जीवित वन्यप्राणी, वन्यप्राणी अवयव, काष्ठ एवं अन्य वनोपज तथा अन्य सामग्री (वाहन, मोबाईल, अग्नेय शस्त्रआदि)को विधि अनुसार जप्त कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष संबंधित वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत यथासंभव प्रस्तुत करने के उपरांत, यथाआवश्यक न्यायालयीन अनुमति से विनिश्वर (Perishable) सामग्री को विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निवर्तन(Disposal) करें तथा शेष अन्य सामग्रियों को पीओआर जारीकर्ता की सुपुर्दगी में दिया जावें। यदि अपराध मे प्रयुक्त उक्त सामग्री की राजसात कार्यवाही प्रारंभ की जानी प्रस्तावित हो,तब इसकी सूचना भी नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी को दी जावे।
2. 48 घंटे के भीतर प्रकरण की एफओसीआर नम्बर परिक्षेत्र कार्यालय से प्राप्त की जावें तथा प्रकरण हेतु सक्षम विवेचना अधिकारी की नियुक्ति की जावें। इसी दौरान उक्त जप्त सामग्री यथासंभव परिक्षेत्र कार्यालय के मालखाने में जमा कर उसका विवरण मालखाने पंजी में दर्ज किया जावें। परिक्षेत्र कार्यालय में एक कर्मचारी को मालखाना प्रभारी के रूप में अधिकृत किया जाकर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जावें।
3. विवेचनाअधिकारी द्वारा उक्त सामग्रियों को अथवा उनके सैम्पल को प्रक्रिया अनुसार आवश्यक फॉरेन्सिक जॉच हेतु भेजा जावें तथा फॉरेन्सिक रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत उस सामग्री अथवा संबंधित सैम्पल को फॉरेन्सिक लैब से प्राप्त कर उसे पुन: परिक्षेत्र कार्यालय के मालखाने में जमा कर दी जावें।
4. विवेचना अधिकारी द्वारा प्रकरण का परिवाद प्रस्तुत करते समय उक्त जप्त समस्त सामग्री व संबंधित सैम्पल मय फॉरेन्सिक रिपोर्ट को माननीय न्यायालय में पेश करें तथा अनुमति लेकर उसे न्यायालय के मालखाने में अथवा परिक्षेत्र कार्यालय के मालखाने में जमा करा देवें।
5. विवेचना अधिकारी अथवा संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी द्वारा प्रकरण की सुनवाई (Trial)के दौरान यथोचित समय पर उक्त समस्त सामग्री को न्यायालय के समक्ष प्रदर्श के रूप में (Exhibit as an article) पेश करवाये, ताकि विभाग का ठोस पक्ष रखा जाना सुनिश्चित हो सकें।
6. संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा प्रकरण के विचारण न्यायालय से तथा अपीलीय न्यायालय से अंतिम निराकरण उपरांत न्यायालयीन अनुमति से उसका विभागीय प्रक्रिया अनुसार निवर्तन किया जावे।

File No. STSF/HQ/CRIME/C-39 (Computer No. 471377)
Generated from eOffice by Mukesh Sharma, FG(MS)-MPSTSF(CRIME-SEC), FOREST GUARD, MADHYA PRADESH STATE TIGER STRIKE FORCE on 17/04/2025 07:26 pm

उपरोक्त समस्त कार्यवाही संपादित किये जाने की जिम्मेदारी संबंधित विवेचना अधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी तथा उनके नियंत्रणकर्ता/पर्यवेक्षक अधिकारी की होगी। आप सभी समय-समय पर वन अपराध प्रकरणों की समीक्षा करते समय उक्त जप्त सामग्रियों की साक्ष्य की श्रृंखला (Chain of Custody)के उचित संधारण की व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र.

प्रतिलिपि-

i. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
ii. प्रबंध संचालक, वन विकास निगम, म.प्र.. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
iii. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) म.प्र.
iv. प्रभारी अधिकारी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, म.प्र. भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र.

File No. STSF/HQ/CRIME/C-39 (Computer No. 471377)
Generated from eOffice by Mukesh Sharma, FG(MS)-MPSTSF(CRIME-SEC), FOREST GUARD, MADHYA PRADESH STATE TIGER STRIKE FORCE on 17/04/2025 07:26 pm